

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265626  
SG-DL-E-22082025-265626असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 188
No. 246]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947	[N. C. T. D. No. 188

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

फा.सं. 14(102)/LA/2025/jtsecylaw/641-650—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 19<sup>th</sup> August, 2025 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025

(2025 का दिल्ली अधिनियम 06)

(08<sup>th</sup> August, 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित){19<sup>th</sup> August, 2025}

दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 3) में और संशोधन करने हेतु

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-** (i) इस अधिनियम को दिल्ली माल एवं सेवा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाए।
- (ii) अधिनियम की धारा 2 से 15 उस तिथि को प्रवृत्त होंगी जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों हेतु भिन्न-भिन्न तिथि नियत की जा सकेगी।
2. **धारा 2 में संशोधन :-** दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (तत्पश्चात् दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 में,—
  - (i) खंड (61) में, “धारा 9” शब्द और अंक के पश्चात्, “इस अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अन्तर्गत” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को 01 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) खंड (69) में, —
  - (क) उपखंड (ग) में, “नगरपालिका का प्रबंधन” शब्दों के पश्चात् “निधि” शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ख) उपखंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
 “स्पष्टीकरण.— इस उप-खंड के प्रयोजनों हेतु—
  - (क) “स्थानीय निधि” का अभिप्राय किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में नागरिक कार्यों के निर्वहन हेतु स्थापित किसी स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के अन्तर्गत किसी निधि से है तथा किसी भी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस को, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां कानून द्वारा निहित हैं;
  - (ख) ‘नगरपालिका निधि’ का अभिप्राय किसी महानगरीय क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में नागरिक कार्यों के निर्वहन हेतु स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के अन्तर्गत किसी निधि से है तथा किसी भी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस को, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, लगाने, एकत्र करने और विनियोजन करने की शक्तियां कानून द्वारा निहित हैं;”;
  - (iii) खंड (116) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
 ‘(116क) “विशिष्ट पहचान चिह्नांकन” का अभिप्राय धारा 148क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिह्नांकन से है तथा इसके अंतर्गत डिजिटल स्टाम्प, डिजिटल चिह्न या कोई अन्य समरूप चिह्नांकन शामिल है, जो विशिष्ट, सुरक्षित और न हटाए जाने योग्य हो;’।
3. **धारा 12 में संशोधन:—** दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) का विलोप किया जाएगा।
4. **धारा 13 में संशोधन :-** दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) का विलोप किया जाएगा।
5. **धारा 17 में संशोधन :-** दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (घ) में, —
  - (i) “संयंत्र या मशीनरी” शब्दों के स्थान पर “संयंत्र तथा मशीनरी” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;
  - (ii) स्पष्टीकरण को उसके **स्पष्टीकरण—1.** के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, तथा इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**स्पष्टीकरण 2.** — खंड (घ) के प्रयोजनों हेतु, यह एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, “संयंत्र या मशीनरी” के किसी भी संदर्भ को “संयंत्र तथा मशीनरी” के संदर्भ के रूप में ही समझा जाएगा, तथा हमें समझा जाए;’।

6. **धारा 20 में संशोधन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से लागू—
- (i) उपधारा (1) में, "धारा 9" शब्द और अंक के पश्चात् "इस अधिनियम की या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अन्तर्गत" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) उपधारा (2) में, "धारा 9" शब्द और अंक के पश्चात् "इस अधिनियम की या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अन्तर्गत" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
7. **धारा 34 में संशोधन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- "बशर्ते कि आपूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि—
- (i) ऐसे प्रत्यय नोट के कारण प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, यदि प्राप्त किया गया है, तो प्राप्तकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया गया है, जहां ऐसा प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति है; या
  - (ii) ऐसी आपूर्ति पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाला गया है, अन्य मामलों में"
8. **धारा 38 में संशोधन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 38 में, —
- (i) उपधारा (1) में, "स्वतः—जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर, "विवरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) उपधारा (2) में, —
  - (क) "के अंतर्गत स्वतः जनित विवरण" शब्दों के स्थान पर "संदर्भित विवरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (ख) खंड (क) में, "और" शब्द का विलोप किया जाएगा;
  - (ग) खंड (ख) में, "प्राप्तकर्ता द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "सहित" शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (घ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- "(ग) ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जाएं।"
9. **धारा 39 में संशोधन :**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में, "और ऐसे समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे समय के भीतर, तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
10. **धारा 107 में संशोधन :**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —
- "बशर्ते कि किसी कर की मांग के बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के खिलाफ तब तक कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"
11. **धारा 112 में संशोधन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —
- "बशर्ते कि किसी कर की मांग के बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में, ऐसे आदेश के खिलाफ तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) के परंतुक के अन्तर्गत देय राशि के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"
12. **नई धारा 122ख में सम्मिलन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- "122ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 148क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह अध्याय XV या इस अध्याय के

प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी दंड के अतिरिक्त, एक लाख रुपये या ऐसे माल पर देय कर के दस प्रतिशत के बराबर जुर्माना (जो भी अधिक हो) "देने के लिए उत्तरदायी होगा।"

13. **नई धारा 148क में सम्मिलन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"148क. (1) सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, —

- (क) माल;
- (ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो ऐसे माल पर आधिपत्य रखते हैं या उससे संबंधित कार्य करते हैं, पर इस धारा के प्रावधान लागू होंगे।
- (2) सरकार उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में, —
  - (क) विशिष्ट पहचान चिह्नांकन करने तथा उसमें निहित सूचना के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण तथा उस तक पहुंच हेतु, एक प्रणाली उपलब्ध कराना ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जैसा कि निर्धारित किया जाए; तथा
  - (ख) ऐसे माल हेतु विशिष्ट पहचान चिह्नांकन निर्धारित करना, जिसमें दर्ज की जाने वाली सूचना भी शामिल है।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, —
  - (क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर एक विशिष्ट पहचान चिह्नांकन करना, जिसमें ऐसी सूचना और ऐसी रीति सम्मिलित हो;
  - (ख) ऐसी सूचना और ब्यौरे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करना तथा ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों को ऐसे प्रपत्र और रीति में बनाए रखना;
  - (ग) ऐसे माल के विनिर्माण के कारोबार के स्थान पर स्थापित मशीनरी का ब्यौरा, जिसमें पहचान, क्षमता, संचालन की अवधि और ऐसे अन्य ब्यौरे या सूचना शामिल है, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्रपत्र और रीति में प्रस्तुत करना;
  - (घ) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करना;

जैसा निर्धारित किया जा सकता है।"

14. **अनुसूची III में संशोधन:**— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची III में,

- (i) परिच्छेद 8 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र में गोदाम में रखे गए माल के निर्यात या घरेलू टैरिफ क्षेत्र हेतु मंजूरी से पहले किसी व्यक्ति को आपूर्ति;"

- (ii) स्पष्टीकरण 2 में, "के प्रयोजनों हेतु" शब्दों के पश्चात्, "खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

- (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा तथा 01 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

**स्पष्टीकरण 3.** — परिच्छेद 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों हेतु "विशेष आर्थिक क्षेत्र", "मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र" और "घरेलू टैरिफ क्षेत्र" के क्रमशः वही अभिप्राय होंगे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके लिए यथा निर्दिष्ट हैं।"

15. **भुगतान किए गए कर या रिवर्स इनपुट कर प्रत्यय की कोई वापसी नहीं:**— ऐसे सभी एकत्रित कर को वापिस नहीं किया जाएगा, जो इस प्रकार एकत्रित नहीं किए जाते, यदि सभी सामग्री मदों पर धारा 14 लागू रही होती।

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

**DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS****NOTIFICATION**

Delhi, the 19th August, 2025

**F.14 (102)/LA/2025/ jtsecylaw/641-650.**—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 19<sup>th</sup> August, 2025 and is hereby published for general information.

**THE DELHI GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2025****(DELHI ACT No. 06 OF 2025)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 08th August, 2025).

[19<sup>th</sup> August, 2025]

Further to amend the Delhi Goods and Services Tax Act 2017(3 of 2017)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows: -

1. **Short title and commencement:** - (i) This Act may be called the Delhi Goods and Services (Second Amendment) Act, 2025.  
(ii) Section 2 to 15 of the Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint and the different date may be appointed for different provisions of this Act.
2. **Amendment of section 2:** - In the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017(hereinafter referred to as Delhi Goods and Services Tax Act), in section 2, —
  - (i) in clause (61), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2025;
  - (ii) in clause (69), —
    - (a) in sub-clause (c), after the words “management of a municipal”, the word “fund” shall be inserted;
    - (b) after sub-clause (c), the following Explanation shall be inserted, namely: —

‘Explanation. —For the purposes of this sub-clause—
    - (a) “local fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;
    - (b) “municipal fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Metropolitan area or Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called;’;
  - (iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely: —

‘(116A) “unique identification marking” means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;’.
3. **Amendment of Section 12:** In section 12 of the Delhi Goods and Services Tax Act, sub-section (4) shall be omitted.
4. **Amendment of Section 13:** In section 13 of the Delhi Goods and Services Tax Act, sub-section (4) shall be omitted.

5. **Amendment of Section 17:** In section 17 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (5), in clause (d), —
- (i) for the words “plant or machinery”, the words “plant and machinery” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;
  - (ii) the *Explanation* shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after *Explanation 1* as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: —
 

*‘Explanation 2. —For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to “plant or machinery” shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to “plant and machinery”;*’.
6. **Amendment of Section 20:** In section 20 of the Delhi Goods and Services Tax Act, with effect from the 1st day of April, 2025, —
- (i) in sub-section (1), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” shall be inserted;
  - (ii) in sub-section (2), after the word and figure “section 9”, the words, brackets and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017,” shall be inserted.
7. **Amendment of Section 34:-** In section 34 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —
- “Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—
- (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
  - (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.”.
8. **Amendment of Section 38:** In section 38 of the Delhi Goods and Services Tax Act, —
- (i) in sub-section (1), for the words “an auto-generated statement”, the words “a statement” shall be substituted;
  - (ii) in sub-section (2), —
    - (a) for the words “auto-generated statement under”, the words “statement referred in” shall be substituted;
    - (b) in clause (a), the word “and” shall be omitted;
    - (c) in clause (b), after the words “by the recipient,”, the word “including” shall be inserted;
    - (d) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: —
 

“(c) such other details as may be prescribed.”.
9. **Amendment of Section 39-** In section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (1), for the words “and within such time”, the words “within such time, and subject to such conditions and restrictions” shall be substituted.
10. **Amendment of Section 107.-.** In section 107 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —
- “Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty has been paid by the appellant.”.
11. **Amendment of section 112:** In section 112 of the Delhi Goods and Services Tax Act, in sub-section (8), the following proviso shall be inserted, namely: ---
- “Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten per cent. of the said penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant.”.

- 12. Insertion of new section 122B:** After section 122A of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely: —

“122B. Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher.”.

- 13. Insertion of new section 148A:** After section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, the following section shall be inserted, namely: —

“148A. (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify, —

- (a) the goods;
- (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.

(2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1), ----

(a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and

(b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.

(3) The persons referred to in sub-section (1), shall, —

(a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;

(b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;

(c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;

(d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2),

as may be prescribed.”.

- 14. Amendment of Schedule III:** In Schedule III to the Delhi Goods and Services tax Act,

(i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely: —

“(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;”;

(ii) in *Explanation 2*, after the words “For the purposes of”, the words, brackets and letter “clause (a) of” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017; after *Explanation 2*, the following *Explanation* shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely: —

“*Explanation 3*. —For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions “Special Economic Zone”, “Free Trade Warehousing Zone” and “Domestic Tariff Area” shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005.”.

- 15. No Refund of tax paid or input tax credit reversed:** No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had section 14 been in force at all material items.

REETESH SINGH, Principal Secretary